प्रेम चंद जैन और जेएम टंडन से पहले जेजे.

पिकाडिली रेस्तरां, - ***याचिकाकर्ता***

बनाम

आबकारी और कराधान आयुक्त और एक अन्य, उत्तरदाताओं

सिविल रिट याचिका सं. 1645 ***का*** 1978. -

30 नवंबर, 1978।

पंजाब आबकारी अधिनियम (1914 का ***1***) - धारा ***34, 58 (2) (जी) और (ओ) और*** 59 (एफ) - ***पंजाब शराब लाइसेंस*** नियम 1956 - ***नियम*** 12-ए ***और*** 38। 4) > और (5) – ***भारतीय संविधान*** 1950 - ***अनुच्छेद*** 14 ***और*** 47 - ***एल का नवीनीकरण करते समय वित्तीय आयुक्त*** 4 ***और, एल।*** 5 ***केवल विदेशी पर्यटकों को शराब परोसने पर प्रतिबंध लगाने वाले लाइसेंस - धारा*** 59 के तहत इस आशय के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है - वित्तीय आयुक्त - क्या धारा ***34 के तहत ऐसी शर्त*** लागू की जा सकती ***है - ऐसी शर्त - चाहे नियम*** 38 ***के खंड (4)*** और ***(5)*** के विरोधाभासी हो - ***फॉर्म एल में लाइसेंस से जुड़ी ऐसी कोई शर्त नहीं।*** 10—***एल पर ऐसी शर्त लगाना।*** 4 ***और एल।*** 5 ***लाइसेंस - चाहे भेदभावपूर्ण हो - ऐसी शर्त - चाहे अस्पष्ट हो और कार्यान्वयन में असमर्थ हो - 'विदेशी पर्यटक' - का अर्थ है।***

और रूप किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है और इसलिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 59 के तहत नियमों के अभाव में, वित्तcial आयुक्त धारा 34 के तहत एक वैध निर्देश जारी करने या एक प्रभावी आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं होगा। वित्तीय आयुक्त के ऐसे आदेश की प्रयोज्यता, निश्चित रूप से, उसमें विशेष रूप से नामित लाइसेंसधारक तक ही सीमित होगी और यह प्रत्येक लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ***अपने आप में*** जो होना चाहिए था वही यदि अधिनियम की धारा 59 के तहत इस आशय के नियम बनाए गए थे। यह भी स्पष्ट है कि वित्तीय आयुक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए केवल तभी सक्षम होगा जब धारा 59 के तहत उसके द्वारा बनाए गए नियमों की अनुपस्थिति हो। 5 (पैरा 10)।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ***के.पी. सुई और एक अन्य*** ए.आई.आर. सब। 279 से असहमति जताई।

यह माना गया कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 58 (2) (जी) के तहत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को मादक पदार्थ की बिक्री के निषेध के लिए नियम बनाने और लागू करने के लिए सक्षम है।

पिकाडिली रेस्तरां *बनाम* आबकारी और कराधान आयुक्त और एक और (जेएम टंडन, जे)।

आम तौर पर धारा 58 (2) (जी) के तहत निषेध की नीति। धारा 59 (एफ) के तहत वित्तीय आयुक्त को प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक शक्ति दी गई है, जिसके तहत लाइसेंस दिया जा सकता है और धारा 34 के तहत उसके द्वारा समान शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग को नशीले पदार्थ की बिक्री के मामले में प्रतिबंध लगाने के बिंदु पर राज्य सरकार और वित्तीय आयुक्त के अधिकार एक-दूसरे से टकराते हैं। एक ही विषय पर नियम बनाने के लिए दो प्राधिकरणों को सक्षम बनाए जाने की स्थिति में, अवर प्राधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को अपना अधिकार तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि बाद में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और इसलिए धारा 58 (2) (जी) और (सी) में निहित प्रावधान धारा 59 (एफ) के तहत नियम बनाने के लिए वित्तीय आयुक्त के अधिकार को नकारात्मक नहीं करेंगे और उसी कारण से धारा 34 के तहत आदेश पारित करेंगे। अधिनियम के बारे में।

(पैरा 11)।

यह माना गया है कि पंजाब शराब लाइसेंस नियम 1956 के नियम 39 के खंड (4) के तहत एक लाइसेंसधारक "लाइसेंस प्राप्त परिसरों में केवल व्यक्तियों को भोजन करने के लिए विदेशी शराब की खुदरा बिक्री कर सकता है और वित्तीय आयुक्त द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्त, लाइसेंस में केवल विदेशी पर्यटकों के लिए शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करती है। लाइसेंस प्राप्त परिसर में भोजन करते विदेशी पर्यटकों के अलावा अन्य भारतीय या विदेशी। वित्तीय आयुक्त का एक आदेश केवल नियमों के विरोधाभासी होगा (यदि पूर्व नियमों के विपरीत चलता है या इसे नकारात्मक करता है)। दोनों के बीच इस तरह के विरोधाभास की स्थिति में, नियम प्रबल होंगे। नियमों में निर्धारित शर्तें प्रत्येक लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी हैं, लाइसेंस में उस आशय के लिए कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। धारा 34 के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा लाइसेंसधारक के लिए निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों में कोई भी छूट नियमों के विपरीत होगी और इसका उल्लंघन होगा, लेकिन, एक अतिरिक्त शर्त लगाकर वित्तीय आयुक्त ने ऐसी कोई छूट नहीं दी है। उन्होंने वास्तव में विदेशी शराब की बिक्री को केवल विदेशी पर्यटकों तक सीमित करके और प्रतिबंध लगा दिए हैं। नियम 38 के खंड (4) में निहित प्रतिबंधों के अलावा, धारा 34 के तहत आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, न तो विरोध करते हैं और न ही बाद में नकारात्मक होते हैं, नियम 38 के खंड (4) के उप-खंड (ए) में शर्त उन लोगों के लिए एक प्रतिबंध है जो लाइसेंस प्राप्त परिसर में भोजन नहीं करते हैं और यह उन व्यक्तियों को शराब परोसने के लिए अनावश्यक अनुमति के रूप में काम नहीं करता है और नहीं कर सकता है जो इसमें भोजन करते हैं। धारा 34 के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तें या प्रतिबंध निस्संदेह नियमों में निर्धारित प्रतिबंधों के विरोधाभासी नहीं हैं। नतीजतन, उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाला या वित्तीय आयुक्त की शक्तियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है।

(पैरा 12, 13 और 14)।

माना जाता है, कि एफओएम एल 10 में लाइसेंस फॉर्म एल 4 और एल 5 में लाइसेंस के अलावा एक श्रेणी है; एल.10 लाइसेंसधारक केवल बीयर बेच सकते हैं जिसे विदेशी शराब के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 4 और एल 5 लाइसेंस के तहत एक लाइसेंसधारक बीयर सहित विदेशी शराब बेचने का हकदार है। फॉर्म एल 4 या एल 5 में लाइसेंस निश्चित शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाता है जबकि किसी को खुली नीलामी में एल 10 लाइसेंस के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है। बीयर की बिक्री के लिए एल 10 लाइसेंस का समय लाइसेंस एल 4 और एल 5 के तहत बीयर सहित विदेशी शराब की बिक्री के लिए निर्धारित समय से अलग है। इसलिए, एल.4 और एल.5 लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारक एल.10 लाइसेंसधारक के बराबर व्यवहार का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसकी अवहेलना भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14 को आकर्षित करेगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अध्याय के अनुच्छेद 47 में राष्ट्र निर्माताओं ने यह निर्धारित किया है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य मादक पेय और दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग का निषेध करने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यह राज्य के लिए हमेशा खुला है कि वह उद्देश्य के साथ सांठगांठ बनाए रखते हुए उचित वर्गीकरण करे। विदेशियों की सामाजिक, आर्थिक और ऐसी अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट कारणों से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने पर अतिरिक्त जोर देने के साथ, बाद में केवल विदेशी पर्यटकों को विदेशी शराब की सेवा पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से भारतीयों से अलग एक वर्ग का गठन किया गया है। यह वर्गीकरण शराबबंदी की नीति के साथ अपनी सांठगांठ को बरकरार रखता है। वर्गीकरण उचित और उचित होने के कारण, यह मानना मुश्किल है कि वित्तीय आयुक्त द्वारा शत्रुतापूर्ण भेदभाव के उपाध्यक्ष से लगाई गई अतिरिक्त शर्त अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

(पैरा 17 और 18)।

यह सच है कि 'विदेशी पर्यटक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इससे कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। इसे आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जटिल व्याख्या से जुड़ा एक हाइपरटेक्निकल वाक्यांश नहीं है। किसी विदेशी देश का पासपोर्ट रखने वाला और किसी विदेशी देश द्वारा जारी पासपोर्ट पर पर्यटक के रूप में भारत की यात्रा करने वाला व्यक्ति भी एक विदेशी पर्यटक होगा और एक पुष्टि किया गया विदेशी विदेशी नहीं होगा यदि वह किसी असाइनमेंट पर भारत की यात्रा करता है और एक पर्यटक के रूप में नहीं। अतिरिक्त शर्त अनिवार्य रूप से लाइसेंसधारक के खिलाफ निर्देशित है और किसी विदेशी पर्यटक के खिलाफ नहीं है। यह लाइसेंसधारक को विदेशी पर्यटक के कहने और लागत पर भी किसी भारतीय को शराब परोसने से रोकता है। शर्तों में लाइसेंसधारक पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह शराब खरीदने के इच्छुक व्यक्ति की पात्रता का पता लगाए और इसकी बिक्री को अस्वीकार करने के लिए इतना संतुष्ट न हो, और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कोई व्यावहारिक दुर्गम कठिनाई नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अतिरिक्त शर्त अस्पष्ट या कार्यान्वयन में असमर्थ है। (पैरा 19)।

पिकाडिली रेस्तरां *बनाम* **आबकारी और कराधान आयुक्त और एक और (जेएम टंडन, जे)।**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित के लिए कृपा करे:

(अ) *30* मार्च, *1978* ***के ज्ञापन (अनुलग्नक*** पी-3) ***को रद्द करते हुए सर्टिओरारी की रिट जारी*** करें और घोषणा करें कि याचिकाकर्ता फर्म के लाइसेंस ो को उक्त ज्ञापन में उल्लिखित किसी भी शर्त के बिना ***वर्ष 1978-79*** के लिए नवीनीकृत किया गया था;

(आ) ***मामले के रिकॉर्ड के लिए कॉल करें;***

(इ) ***भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (4)*** के तहत अपेक्षित प्रस्ताव की सूचना ***को कृपया हटा दिया जाए;***

(ई) ***रिट याचिका के निपटान तक ज्ञापन (अनुबंध पी-3) के संचालन पर अंतरिम रोक लगाना;***

(उ) ***इस याचिका की लागत का अनुदान।***

इस मामले की परिस्थितियों में ऐसा अन्य आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, कृपया प्रदान किया जा सकता है।

टी. एस. मुंजराल, अधिवक्ता, ***याचिकाकर्ता के लिए।*** ' f

एच। रिट याचिकाकर्ता के लिए याचिका संख्या 2066 के संबंध में आर. एन. नरूला के साथ एल. सिब्बल ***/***

एम. एल. बंसल के साथ आनंद स्वरूप सीनियर एडवोकेट, ***उत्तरदाताओं के लिए।*** .
. ■ ■ मैं

निर्णय

जे. एम. टंडन, जे. ***जे.***

(एक) यह आदेश 1978 के मैसर्स ***पिकाडिली रेस्तरां, चंडीगढ़ के सीडब्ल्यू नंबर 1645 का निपटारा करेगा*** । ***आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चंडीगढ़ और अन्य,*** और 1973 के सीडब्ल्यू नंबर 2066, मेसर्स ***नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, चंडीगढ़*** बनाम चंडीगढ़ ***केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और अन्य,*** जिसमें इसी तरह के बिंदु शामिल हैं।

(दो) मैसर्स पिकाडिली रेस्तरां, चंडीगढ़ और मैसर्स नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जो होटल माउंटव्यू, चंडीगढ़ के मालिक हैं, के पास 1977-78 तक फॉर्म एल.4 (रेस्तरां में विदेशी शराब की खुदरा दुकान) और फॉर्म एल.5 (रेस्तरां से जुड़े बार की खुदरा दुकान) में बिना किसी अतिरिक्त शर्त के लाइसेंस थे।

इसके अलावा पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) में निर्धारित नियमों के अलावा। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1978-79 के लिए जनवरी, 1978 में अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए अधिकारियों को आवेदन दिया, जो 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक है। नियमों के तहत, ऐसे आवेदन 31 जनवरी से पहले प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है और कलेक्टर 28 फरवरी तक नवीकरण प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। कलेक्टर द्वारा 28 फरवरी तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति से उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। कलेक्टर, आबकारी ने 1978-79 के लिए सरकार के आबकारी नीति निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए 28 फरवरी तक याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस ो का नवीनीकरण नहीं किया और अंततः 15 मार्च, 1978 के अपने नोट के माध्यम से वित्तीय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबकारी और कराधान आयुक्त को नवीनीकरण की सिफारिश की, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया, - दिनांक 30 मार्च, 1978 के ज्ञापन के ***माध्यम से*** कि वर्ष 1978-79 के लिए उनके लाइसेंसों का नवीकरण निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों पर किया गया था -

एक. बार सेवा केवल विदेशी पर्यटकों तक ही सीमित रहेगी।

दो. विदेशियों को बार में किसी भारतीय को पेय पदार्थ देने की अनुमति नहीं होगी।

तीन. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 1978-79 के लिए पहले से घोषित ड्राई डे बार पर भी लागू होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने अपने लाइसेंसों से जुड़ी शर्तों को हटाने में विफल रहने के बाद, विभिन्न आधारों पर उन्हें लगाए जाने को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की हैं, अन्य बातों के साथ-साथ ***वित्तीय आयुक्त की शक्तियों से परे होने के साथ-साथ अस्पष्ट*** और ***भेदभावपूर्ण भी हैं*** । याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि अधिकारियों को 1978-79 के लिए जारी किए गए लाइसेंसों को विशेष शर्तों के बिना उनके पक्ष में माना जाए।

(तीन) रिट याचिकाओं को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और आबकारी अधिकारियों द्वारा चुनौती दी गई है। उन्होंने अपने लिखित बयानों में इस बात से इनकार किया कि वर्ष 1978-79 के लिए याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए लाइसेंस से जुड़ी ***विशेष शर्तें खराब हैं या वित्तीय आयुक्त की शक्तियों से*** परे हैं या अस्पष्ट या भेदभावपूर्ण हैं।

(चार) याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 35 (जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत कलेक्टर याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस ोंं को नवीनीकृत करने के लिए सक्षम थे, न कि आबकारी आयुक्त या वित्तीय आयुक्त। कलेक्टर ने 15 मार्च, 1978 के अपने नोट में लाइसेंसों के नवीकरण की सिफारिश की। उन्होंने आबकारी आयुक्त से ऐसी सिफारिश इसलिए की क्योंकि वह 28 फरवरी तक अपने स्तर पर लाइसेंसों का नवीनीकरण कर सकते थे और उसके बाद नियमों के नियम 12-ए के तहत आबकारी आयुक्त की विशेष मंजूरी आवश्यक थी। आबकारी आयुक्त ने वित्तीय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता के लाइसेंस ोंं का नवीनीकरण कर दिया और वह ऐसा नहीं कर सका। वित्तीय आयुक्त का आदेश, क्षेत्राधिकार के बिना होने के कारण, ***अमान्य*** है और कलेक्टर की सिफारिश (15 मार्च, 1978 को) एक वैध नवीकरण आदेश के रूप में कार्य करेगी और इसमें कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। इस आधार के खोखलेपन को ध्यान में रखते हुए, दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बहस के दौरान इस पर जोर नहीं दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 1978-79 के लिए घोषित शुष्क दिनों की प्रयोज्यता से संबंधित शर्त संख्या 3 पर भी अपना हमला छोड़ दिया। नतीजतन रिट याचिकाएं केवल नंबर 1 और 2 पर अन्य दो शर्तों के बीच ही जीवित रहती हैं।

(पाँच) (5) आक्षेपित शर्तें वित्तीय आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश द्वारा लगाई गई हैं। नियमों में ऐसी शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है। यदि नियमों में ऐसा प्रावधान किया गया होता, तो शर्तें लागू होती और उन्हें याचिकाकर्ताओं पर लागू करने के लिए आदेश पारित करने का अवसर उत्पन्न नहीं होता। इसलिए, विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या वित्तीय आयुक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत अपनी शक्ति के उल्लंघन में आक्षेपित शर्तें लागू कर सकता है।

(छः) याचिकाकर्ता के तर्क (विवाद± में कहा गया है कि वित्तीय आयुक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत आक्षेपित प्रतिबंधों को लागू नहीं कर सकता है क्योंकि इस धारा के तहत शक्ति का उपयोग केवल धारा 59 के तहत नियम बनाकर किया जा सकता है और समर्थन में ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** बनाम केपी ***पर निर्भर करता है।सुई और अन्य,*** (1)। उनका तर्क यह है कि धारा 58 (2) (जी), शर्तों संख्या 1 और

एक 1) एआईआर 1977 सभी। 279.

दो इसे केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है और वह भी नियम बनाकर और अन्यथा नहीं जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत वित्तीय आयुक्त का अधिकार नकारात्मक हो गया।

(सात) प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 34 और 59 1 के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्तियां इस शर्त के अधीन एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं कि धारा 34 के तहत पारित आदेश धारा 59 के तहत बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं होगा। इस मामले में, लगाई गई शर्तें नियमों के विरोधाभास में नहीं हैं और वास्तव में इसके पूरक हैं। वित्तीय आयुक्त नियमों के पूरक के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत एक वैध आदेश पारित करने के लिए

सक्षम है और इस प्रकार आक्षेपित शर्तों को लागू करने के लिए वर्तमान मामलों में पारित आदेश उसकी शक्तियों के ***भीतर*** है , न कि अन्यथा। रिलायंस को संत राम शर्मा बनाम ***संत राम शर्मा पर रखा गया*** है। ***राजस्थान राज्य और अन्य***(2), जिसमें यह तर्क कि सांविधिक नियमों के अभाव में सरकार पहले से बनाए गए नियमों में नहीं पाए गए प्रतिबंधों को लागू करते हुए प्रशासनिक अनुदेश जारी नहीं कर सकती है, को खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि सरकार प्रशासनिक अनुदेश जारी करने के लिए सक्षम है यदि नियम अंतराल को भरने और वैधानिक नियम तैयार होने तक नियमों को पूरा करने के लिए किसी विशेष बिंदु पर मौन थे। यह देखा गया कि प्रशासनिक निर्देश वैधानिक नियमों में संशोधन या स्थान नहीं ले सकते हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि धारा 58 (2) (जी) और (ओ) के तहत राज्य सरकार को दिया गया अधिकार आवश्यक रूप से धारा 59 (एफ) के तहत वित्तीय आयुक्त की समान शक्ति को नकारात्मक नहीं करता है, जो नियम बनाकर और धारा 34 के तहत एक आदेश द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

(आठ) अधिनियम की धारा 34, 35, 58 और 59 में निहित संगत उपबंधों को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा:-

> (नौ) (1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेंस, परमिट या पास प्रदान किया जाएगा:-
>
> (अ) ऐसी फीस के भुगतान पर, यदि कोई हो,
>
> (आ) ऐसे प्रतिबंधों और ऐसी शर्तों के अधीन,
>
> (इ) ऐसे रूप में और ऐसे विवरणों से युक्त,

(दो) 1967 एस.एल.आर. 906.

पिकाडिली रेस्तरां *बनाम* **आबकारी और कराधान आयुक्त और एक और (जेएम टंडन, जे)।**

(ई) ऐसी अवधि के लिए,

जैसा कि वित्तीय आयुक्त निर्देश दे सकते हैं।

(दो) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने वाले किसी भी प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह लाइसेंसधारक को अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसी प्रतिभूति प्रदान करे, या प्रतिभूति के बदले में ऐसी जमा राशि जमा करे, जैसा कि ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।

35(1) बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करना- ***इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन वित्तीय आयुक्त द्वारा बनाए गए नियम के अधीन रहते हुए, कलेक्टर अपने जिले के भीतर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है।***

"58 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या आबकारी राजस्व से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।

(तीन) विशेष रूप से, और पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, राज्य सरकार नियम बना सकती है:-

* * * *
* * * *

(छ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को मादक पदार्थ की बिक्री के प्रतिषेध के लिए;

* * * *

(ओ) आम तौर पर निषेध की नीति को लागू करना।

59. ***नियम बनाने के लिए वित्तीय आयुक्त की शक्तिया***वित्तीय आयुक्त अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा:- * * *

(च) निम्नलिखित विषयों के उपबंधों सहित प्राधिकारी द्वारा उन प्रतिबंधों और शर्तों को विहित करना जिन पर कोई लाइसेंस, परमिट या पास प्रदान किया जा सकता है।

* * * *

(नौ) वित्तीय आयुक्त ने अधिनियम की धारा 59 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं और नियम 38 किससे संबंधित है?

विशेष शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। नियम 38 के खंड (4) और (5) क्रमशः फॉर्म L. 4 और L. 5 में लाइसेंस से संबंधित हैं। इन खण्डों के संगत भाग निम्नानुसार हैं -

"38 (4) (ए) लाइसेंसधारक केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में भोजन लेने वाले व्यक्तियों को परिसर में उपभोग के लिए विदेशी शराब की खुदरा बिक्री करेगा। ***मैं***

(ख) लाइसेंसधारी अलग से बार लाइसेंस लिए बिना अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई बार स्थापित या रखरखाव नहीं करेगा।

* * * *

38 (5) (ए) लाइसेंसधारक केवल परिसर में खपत के लिए विदेशी शराब की खुदरा बिक्री कांच द्वारा या बार में खुली बोतलों द्वारा या लाइसेंस में विशेष रूप से निर्धारित परिसर के अन्य हिस्सों में करेगा। ऐसी बोतलों को किसी भी कारण से ग्राहकों द्वारा परिसर से नहीं हटाया जाना चाहिए।

* * * *".

(दस) कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं और इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार प्रदान किए गए लाइसेंस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होंगे। धारा 34 और 35 के सामंजस्यपूर्ण पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय आयुक्त द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे, वे लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार बनाए गए नियम लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी होंगे और इसे लाइसेंस में विशेष रूप से उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आयुक्त अधिनियम की धारा 59 के तहत नियम तैयार कर सकता है। यह मानते हुए कि वित्तीय आयुक्त ने धारा 59 के तहत नियम तैयार नहीं किए हैं, एक सवाल उठता है कि क्या वह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आदेश द्वारा शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इसी तरह के मुद्दे ***की जांच उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** राज्यों ***में की गई थी।के. पी. सुई*** और 1 ***अन्य*** (सुप्रा), और इसका जवाब नकारात्मक में दिया गया। इस प्राधिकरण में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह तथ्यात्मक रूप से गलत परिसर पर आधारित है। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31, जिसे फैसले में पुन: प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम की धारा 34 के लगभग समानांतर है। इस धारा पर चर्चा करते समय, यह माना गया था कि आबकारी आयुक्त, जिसके पास अधिनियम की धारा 34 के तहत वित्तीय आयुक्त के समान निर्देश देने की शक्ति थी, कर सकता था

लाइसेंस के संबंध में शुल्क, प्रतिबंध और शर्तों आदि को निर्धारित ***करके इसका प्रयोग*** करें। चर्चा के दौरान 'निर्धारित' शब्द का आयात किया गया जबकि तथ्यात्मक रूप से धारा 31 में प्रयुक्त शब्द 'प्रत्यक्ष' है। वाक्यांशविज्ञान के बारे में गलत धारणा ने रंग बदल दिया। यदि विधायिका ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31 में 'प्रत्यक्ष' के स्थान पर 'निर्धारित' शब्द का प्रयोग किया होता, तो निर्णय में दी गई व्याख्या कि उसमें प्रदत्त शक्ति का उपयोग नियम बनाकर किया जा सकता है, उपयुक्त होता। उठाए गए गलत धारणा को देखते हुए, याचिकाकर्ता इससे लाभ नहीं उठा सकते हैं; किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक फैली हुई है जिनके संबंध में राज्य के विधान-मंडल को कानून बनाने की शक्ति है और ऐसा है> भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए, यह कल्पना करना मुश्किल है कि धारा 59 के तहत नियमों के अभाव में, वित्तीय आयुक्त धारा 34 के तहत एक वैध निर्देश जारी करने या एक प्रभावी आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं होगा। वित्तीय आयुक्त के ऐसे आदेश की प्रयोज्यता, निस्संदेह, उसमें विशेष रूप से नामित लाइसेंसधारक तक ही सीमित होगी और यह प्रत्येक लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 59 के तहत इस आशय के नियम तैयार करने पर होता। यह भी स्पष्ट है कि वित्तीय आयुक्त केवल अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम

होगा, केवल धारा 59 के तहत उसके द्वारा बनाए गए नियमों की अनुपस्थिति में ।

(ग्यारह) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 58(2)(जी) के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नशीले पदार्थ की बिक्री के प्रतिषेध के लिए नियम बनाने और धारा 58(2)(ओ) के अंतर्गत सामान्यत प्रतिषेध की नीति को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने में सक्षम है। धारा 59 (एफ) के तहत वित्तीय आयुक्त को प्रतिबंध लगाने की एक व्यापक शक्ति दी गई है जिसके तहत लाइसेंस दिया जा सकता है। धारा 34 के तहत उसके द्वारा इसी तरह की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नशीले पदार्थ की बिक्री के मामले में प्रतिबंध लगाने के मामले में राज्य सरकार और वित्तीय आयुक्त के अधिकार एक-दूसरे से टकराते हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की सामग्री यह है कि राज्य सरकार वित्तीय आयुक्त से ऊपर का प्राधिकारी होने के नाते, वित्तीय आयुक्त से अधिक अधिकार होने के नाते, बाद में इसका उपयोग करने का अधिकार खो देगा और राज्य सरकार केवल इसके संबंध में नियम बनाने के लिए सक्षम रहेगी। हमें इस सामग्री में कोई बल नहीं मिलता है। विधानमंडल किस रूप में अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है?

एक से अधिक प्राधिकरणों के लिए नियम और एक ही विषय पर नियम बनाने के लिए दो प्राधिकरणों को इतना सक्षम बनाए जाने की स्थिति में, हीन प्राधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को अपना अधिकार तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि बाद में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस ***अनुपात*** को तत्काल मामले में लागू करते हुए, धारा 58 (2) (जी) और (ओ) में निहित प्रावधान धारा 59 (एफ) के तहत नियम बनाने और उसी कारण से अधिनियम की धारा 34 के तहत आदेश पारित करने के लिए वित्तीय आयुक्त के अधिकार को नकारात्मक नहीं करेंगे।

वित्तीय आयुक्त ने प्रपत्र एल4 और एल5 में लाइसेंसों के संबंध में नियम बनाए हैं और वे नियमों के नियम 38 के खंड (4) और (5) में निहित हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किए गए लाइसेंसों के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तें नियमों के विरोधाभासी हैं, जबकि प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क यह है कि वे इसके पूरक हैं। पक्षकारों के विद्वान वकील का यह सामान्य मामला है कि यदि अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए वित्तीय आयुक्त द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तें धारा 59 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों के विपरीत हैं, तो उन्हें अपनी क्षमता से परे होने के नाते अमान्य ठहराना होगा। उस स्थिति में, वित्तीय आयुक्त नियमों में उपयुक्त संशोधन करके वांछित प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम होगा, न कि अन्यथा।

(बारह) नियमों के नियम 38 के खंड (4) के तहत, एक लाइसेंसधारी केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में भोजन लेने वाले व्यक्तियों को परिसर में उपभोग के लिए विदेशी शराब खुदरा बेच सकता है। याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस में वित्तीय आयुक्त द्वारा रखी गई अतिरिक्त शर्तें केवल विदेशी पर्यटकों को शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करती हैं। इस प्रकार लाइसेंसधारकों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में भोजन करने वाले विदेशी पर्यटकों के अलावा भारतीयों या विदेशियों को शराब बेचने से मना किया गया है। विचार करने का मुद्दा यह है कि क्या अतिरिक्त शर्तें नियमों के विरोधाभासी या पूरक हैं।

(तेरह) वित्तीय आयुक्त का एक आदेश नियमों के विपरीत होगा यदि पूर्व नियम के विपरीत चलता है या इसे नकारात्मक करता है। दोनों के बीच इस तरह के विरोधाभास की स्थिति में, नियम प्रबल होंगे। नियमों में निर्धारित शर्तें प्रत्येक लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी हैं और लाइसेंस में इस आशय का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। धारा 34 के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा लाइसेंसधारक के लिए निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों में कोई छूट

नियमों के विपरीत होगा और इसका उल्लंघन होगा। विचाराधीन मामलों में वित्तीय आयुक्त ने ऐसी कोई छूट नहीं दी है। उन्होंने विदेशी शराब की बिक्री को केवल विदेशी पर्यटकों तक सीमित करके और प्रतिबंध लगा दिए हैं। नियम 38 के खंड (4) में निहित प्रतिबंधों के अलावा, धारा 34 के तहत आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, न तो विरोध करते हैं और न ही नियम को नकारात्मक करते हैं।

(चौदह) धारा 59 (एफ) वित्तीय आयुक्त को उन शर्तों और शर्तों के तहत प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है जिन पर लाइसेंस दिया जा सकता है। यह उसे रियायतें या अनुमतियां निर्धारित करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। इसलिए, उप-धारा (एफ) के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा बनाए गए नियम आवश्यक रूप से प्रतिबंधों और शर्तों से संबंधित होंगे, न कि अनुमतियों या रियायतों से। इसलिए, यह स्पष्ट है कि नियमों के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अभाव में या धारा 34 के तहत एक आदेश द्वारा, एक लाइसेंसधारक को सभी व्यक्तियों को शराब परोसने की स्वतंत्रता होगी। वित्तीय

आयुक्त द्वारा निर्धारित विशेष शर्तें नियम 38 में निहित हैं। इसके खंड (4) के उपखंड (क) में शर्त उन लोगों के लिए एक प्रतिबंध है जो लाइसेंस प्राप्त परिसर में भोजन नहीं करते हैं और यह उन व्यक्तियों को शराब परोसने के लिए अनावश्यक अनुमति के रूप में काम नहीं करता है और नहीं कर सकता है जो वहां भोजन करते हैं। धारा 34 के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा विचाराधीन मामलों में लगाई गई अतिरिक्त शर्तें या प्रतिबंध निस्संदेह नियमों में निर्धारित प्रतिबंधों के विरोधाभासी नहीं हैं। नतीजतन, उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाला या अमान्य होने के कारण ***वित्तीय आयुक्त की शक्तियों से*** परे नहीं ठहराया जा सकता है।

(पंद्रह) याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस से जुड़ी शर्तें भेदभावपूर्ण हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं क्योंकि बीयर बार, सेक्टर 18, चंडीगढ़ के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं जुड़ी हुई है, जो परिसर के अंदर या बाहर खपत के लिए बीयर की खुदरा दुकान के लिए फॉर्म एल 10 में लाइसेंस रखते हैं। यह प्रचारित किया गया है कि बीयर विदेशी शराब है और लाइसेंस एल 4 और एल 5 में शामिल है जिसे वर्ष 1978-79 के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नवीनीकृत किया गया है। इस भेदभाव का प्रभाव यह है कि याचिकाकर्ताओं को भारतीयों और विदेशियों को बीयर बेचने से रोक दिया गया है, जबकि बीयर बार, रेक्टर 18, चंडीगढ़, विदेशी पर्यटकों सहित उन्हें अपनी बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है। असंवैधानिक शत्रुतापूर्ण भेदभाव के अलावा, लागू शर्तों ने भारतीय धरती पर भारतीयों और विदेशी पर्यटकों के समान ग्राहक-वार भेदभाव को प्रभावित किया है।

उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया गया है। इस प्रकार इस विकार से पीड़ित आक्षेपित शर्तें निरस्त की जा सकती हैं।

(सोलह) प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया है कि डीलर वार कोई भेदभाव नहीं किया जाता है क्योंकि बीयर बार, सेक्टर 18, चंडीगढ़ और याचिकाकर्ता समान रूप से स्थित नहीं हैं। फॉर्म L. 10 में एक लाइसेंसधारक और फॉर्म L. 4 या L. 5 में दूसरा दो अलग-अलग श्रेणियों का गठन करता है। राज्य ग्राहकों के बीच भी उचित वर्गीकरण करने में सक्षम है और इस सिद्धांत पर नशीले पेय पदार्थों के सेवन के मामले में विदेशी पर्यटकों और भारतीयों को दिए गए अलग-अलग व्यवहार को उचित ठहराया जाता है और इस प्रकार ग्राहक-वार भी कोई भेदभाव शामिल नहीं है।

(सत्रह) बियर बार, सेक्टर 18, चंडीगढ़ में फॉर्म एल: 10 में लाइसेंस है, जबकि याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एल 4 और एल 5 में लाइसेंस दिए गए हैं या नवीनीकृत किए गए हैं। फॉर्म एल 10 में लाइसेंस फॉर्म एल 4 और एल 5 में लाइसेंस के अलावा एक श्रेणी है। L. 10. लाइसेंसधारक केवल बीयर बेच सकते हैं जिसे विदेशी शराब के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एल 4 और एल 5 के तहत एक लाइसेंसी बीयर सहित विदेशी शराब बेचने का हकदार है। फॉर्म एल 4 या एल 5 में लाइसेंस निश्चित शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाता है जबकि किसी को खुली नीलामी में एल 10 लाइसेंस के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है। बीयर की बिक्री के लिए एल 10 लाइसेंस का समय लाइसेंस एल 4 और एल 5 के तहत बीयर सहित विदेशी शराब की बिक्री के लिए निर्धारित समय से अलग है। इसलिए, याचिकाकर्ता एल 10 लाइसेंसधारक के बराबर व्यवहार का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसका निषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को आकर्षित करेगा।

(अठ्ठारह) राष्ट्र निर्माताओं ने राज्य के नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों से संबंधित अध्याय के अनुच्छेद 47 में कहा है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक के रूप में पुनर्गठित करेगा और विशेष रूप से, राज्य मादक पेय और हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग का निषेध करने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य के लिए'. शराबबंदी के मुद्दे पर संविधान में निहित स्पष्ट निर्देश को देखते हुए, उस पर किसी भी चर्चा को स्वीकार करने की शायद ही कोई गुंजाइश बची है। याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में एक भारतीय और एक विदेशी के बीच कोई अंतर करने की अनुमति नहीं है । इसलिए, विदेशी पर्यटक और भारतीय समान व्यवहार के हकदार हैं। यह मानते हुए कि

पिकाडिली रेस्तरां *बनाम* आबकारी और कराधान आयुक्त और एक और (जेएम टंडन, जे)।

भारतीयों के स्वास्थ्य में सुधार लाने और उनके पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए आक्षेपित शर्तें लगाई गई हैं, विदेशी पर्यटकों के साथ उतना ही भेदभाव किया गया है जितना कि वे नशीले पेय के खतरों के संपर्क में आए हैं। यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 को आकर्षित करेगा, जिससे लागू की गई स्थितियां खराब हो जाएंगी। हम इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं। सबसे पहले, यह संदिग्ध है कि याचिकाकर्ता विदेशी पर्यटकों को मादक पेय के खतरों के संपर्क में आने का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। दूसरे, यह राज्य के लिए हमेशा खुला है कि वह उद्देश्य के साथ सांठगांठ बनाए रखते हुए उचित वर्गीकरण करे । विदेशियों की सामाजिक, आर्थिक और ऐसी अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट कारणों से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने पर अतिरिक्त जोर देने के साथ, बाद में निश्चित रूप से आक्षेपित प्रतिबंध ों को लागू करने के उद्देश्य से भारतीयों से अलग एक वर्ग का गठन किया जाता है। यह वर्गीकरण शराबबंदी की नीति के साथ अपनी ***सांठगांठ*** को बरकरार रखता है। वर्गीकरण उचित और उचित होने के कारण, यह मानना मुश्किल है कि लागू शर्तें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले शत्रुतापूर्ण भेदभाव के विकार से ग्रस्त हैं।

(उन्नीस)एक अन्य बात यह है कि सरकार के वकीलों ने यह आग्रह किया है कि लगाए गए प्रतिबंध अस्पष्ट हैं और कार्यान्वयन में असमर्थ हैं। तर्क यह है कि 'विदेशी पर्यटक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और लाइसेंसधारक के लिए कभी-कभी एक भारतीय और एक विदेशी के साथ-साथ एक विदेशी और एक विदेशी पर्यटक के बीच अंतर करना संभव नहीं हो सकता है। तर्क यह है कि शर्त संख्या 2 एक विदेशी पर्यटक को बार में एक भारतीय को पेय की पेशकश करने से रोकती है। लाइसेंसधारक किसी विदेशी पर्यटक को पेय बेचने के बाद उसे किसी भारतीय को पेय देने से रोकने में कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है। शर्त संख्या 2 एक विदेशी पर्यटक पर प्रतिबंध है और आबकारी अधिकारियों के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसलिए, इस आधार पर शर्तें संख्या 1 और 2 निरस्त की जा सकती हैं। विवाद में कोई बल नहीं है। यह सच है कि 'विदेशी पर्यटक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इससे कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। इसे आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जटिल व्याख्या से जुड़ा एक हाइपरटेक्निजकल वाक्यांश नहीं है। एक विदेशी देश का पासपोर्ट रखने वाला और एक पर्यटक के रूप में भारत की यात्रा करने वाला व्यक्ति इसके द्वारा कवर किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक बड़ा तर्क देने का प्रयास किया कि विदेशी पर्यटकों को पेय खरीदने के लिए हमेशा अपने पासपोर्ट साथ रखना होगा और यह उनके लिए बहुत असुविधाजनक होगा। विचाराधीन बिंदु के संदर्भ में अप्रासंगिक होने के कारण इस तर्क को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो कभी भारतीय था और अब

किसी विदेशी देश द्वारा जारी पासपोर्ट पर एक पर्यटक के रूप में भारत की यात्रा करते समय विदेश में बसे लोग भी एक विदेशी पर्यटक होंगे। एक पक्का विदेशी विदेशी नहीं होगा यदि वह किसी असाइनमेंट पर भारत आता है और एक पर्यटक के रूप में नहीं। लागू शर्त संख्या 2 अनिवार्य रूप से लाइसेंसधारक के खिलाफ निर्देशित है, न कि किसी विदेशी पर्यटक के खिलाफ। यह लाइसेंसधारक को विदेशी पर्यटक के कहने और लागत पर भी किसी भारतीय को शराब परोसने से रोकता है। इन 7 शर्तों में लाइसेंसधारक पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह शराब खरीदने के इच्छुक व्यक्ति की पात्रता का पता लगाए और यदि वह शराब की बिक्री को रोकने के लिए इतना संतुष्ट नहीं है। हम उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कोई व्यावहारिक दुर्गम कठिनाई नहीं देखते हैं। इसलिए, हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि वे अस्पष्ट हैं या कार्यान्वयन में असमर्थ हैं।

(बीस) लागू की गई शर्तें संख्या 1 और 2 न तो ***अधिनियम की धारा 34 के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्तियों से परे हैं और न ही वे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले भेदभाव के विकार से ग्रस्त हैं और न ही वे अस्पष्ट या कार्यान्वयन में असमर्थ हैं।***

(इक्कीस). नतीजतन, हम इन याचिकाओं को खारिज कर देते हैं और लागत के बारे में बिना किसी आदेश के इसे खारिज कर देते हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा